न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

पंचायत निगरानी संख्या : 22/2016

लेखराज जैमन पुत्र श्री द्वारका प्रसाद, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम महादेवपुरा, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. कैलाश चन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम महादेवपुरा, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
2. श्रीमती हेमलता देवी पत्नी स्व0 श्री रामजीलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम महादेवपुरा, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
3. शंकर उर्फ सुमित पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम ग्राम महादेवपुरा, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
4. ज्ञानू पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम महादेवपुरा, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
5. ग्राम पंचायत–महादेवपुरा, पंचायत समिति–चाकसू, जिला–जयपुर जरिये सरपंच।

गैर–निगरानीकर्तागण

(पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राज0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत महादेवपुरा दि0 25.05.1994 बमिसल सं0 5/10.4.94 एवं इसके अनुसरण में दिनांक 26.05.1994 को जारी किया गया पट्टा सं0 05 बहक श्री कन्हैयालाल पुत्र जगन्नाथ ब्राहम्ण को निरस्त करने)

उपस्थितिः–

1. श्री प्रकाशचन्द भारती, अभिभाषक, निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री मोहन चौधरी, अभिभाषक, गैर–निगरानीकर्त्ता सं0 1 लगायत 4 की ओर से।
3. गैर–निगरानीकर्ता सं. 5 बावजूद तामील अनुपस्थित।

<u>निर्णय</u> दिनांकः– 25.09.2017

ग्राम पंचायत–महादेवपुरा द्वारा दिनांक 25.05.1994 को श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम महादेवपुरा को 164 वर्गगज भू–खण्ड का राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के अनुसरण में रूपये 363/– जमा कर पट्टा सं0 05 दिनांक 25.05.1994 जारी किया गया हैं, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है।

कराया जाकर, नोटिस गैर–निगरानीकर्तागण जारी किए गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई। सचिव, ग्राम पंचायत–महादेवपुरा के पत्र दिनांक 16.05.2017 द्वारा सूचित किया गया कि चुनौती अधीन आज्ञा संबधी कोई भी दस्तावेज ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हैं।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक श्री प्रकाशचन्द भारती का कथन हैं कि निगरानी अधीन आज्ञा दिनांक 25.05.1994 ग्राम पंचायत–महादेवपुरा व इसके अनुसरण में जारी किया गया पट्टा सं0 05 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत हैं। गैर–निगरानीकर्ता सं0 1 लगायत 4 के पूर्वज श्री कन्हैयालाल ने ग्राम पंचायत में गलत तथ्य प्रस्तुत कर बाला–बाला बिना नियमों की प्रक्रिया अपनाये अवैध रूप से ग्राम महादेवपुरा में स्थित ऐतिहासिक मन्दिर श्री रधुनाथ जी के लगते ही दक्षिण की ओर सार्वजनिक पीने की पानी की प्याऊ तथा उसके लगते ही सार्वजनिक कुंआ व सधन नीम का पेड़ स्थित हैं तथा इनके लगते ही पूर्व में आम रास्ता, दक्षिण में आम रास्ता तथा उत्तर में श्री रधुनाथ जी का मन्दिर व मन्दिर का चबूतरा, पश्चिम में विवादित पट्टे की सार्वजनिक भूमि स्थित हैं। गैर–निगरानीकर्तागण 1 लगायत 4 के पूर्वज श्री कन्हैयालाल ने बाला–बाला विवादित पट्टा प्राचीन सार्वजनिक कुआ, प्याऊ व नीम का पेड़ तथा सार्वजनिक भूमि का नाजायज रूप से प्राप्त किया हैं जो अवैध होने से निरस्तनीय हैं। वादग्रस्त भू–खण्ड पूर्वजो के समय से ही निगरानीकर्तागण के व आम जनता के उपयोग–उपभोग में आ रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम,1961 के नियम 266 के अन्तर्गत पट्टा जारी किया जाना जाहिर किया हैं जो कि पुराने कब्जे के आधार पर ही पट्टा दिया जा सकता हैं परन्तु आज भी गैर–निगरानीकर्तागण का मौके पर कब्जा नहीं हैं तथा मौके पर आज भी सार्वजनिक कुंआ, प्याऊ व नीम का पेड़, आम रास्ता सार्वजनिक भूमि हैं। सार्वजनिक उपयोग की भूमि का पट्टा जारी किये जाने से पूर्व मौके की पंचो की रिपोर्ट नहीं ली गई न ही आपत्ति नोटिस जारी किया गया। पूर्ण कार्यवाही नियमों की अनदेखी कर केवल मात्र पट्टा प्राप्तकर्त्ता श्री कन्हैयालाल को लाभ पहुंचाने के लिए चुपचाप की गई हैं जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं। पट्टे पर प्रशासक, ग्राम पंचायत– महा देवपुरा द्वारा दिनांक 25.05.1994 को हस्ताक्षर किया जाना अंकित हैं जबकि हस्ताक्षर किये जाने व मुहर तथा राशि 363/– रू जरिये रसीद सं0 74 दिनांक 26.05.1994 जमा कराने की दिनांक 26.05.1994 अंकित हैं जो यह

जाहिर करता है कि सारी कार्यवाही बाला–बाला जल्दबाजी में फर्जी रूप से की गई हैं। नक्शा जमीन जो पट्टे की पुश्त पर दर्ज की गई हैं उसमें पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण की तरफ आम रास्ता दर्शाया गया हैं। आम रास्ता के सट्वा जमीन का पट्टा पंचायत नियमों के विरूद्ध जारी किया गया हैं। पूर्व की प्याऊ जीर्ण–शीर्ण होकर गिर जाने पर आम लोगों के पानी पीने हेतु मटको की प्याऊ दिनांक 26.06.2016 को रखने पर गैर–निगरानीकर्ता सं0 1 लगायत 4 ने मौके पर आकर धमकी दी और कहां कि यह सम्पत्ति हमारी हैं इसका पट्टा हमारे नाम से जारी हैं। सार्वजनिक सम्पत्ति का कोई लेना–देना नहीं हैं और यह कहते हुए पट्टे की प्रति निगरानीकर्ता की ओर फेंकी जिससे अवैध रूप से जारी किये गये पट्टे की जानकारी हुई। अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे और अवैध रूप से जारी किये पट्टे को निरस्त फरमाया जावे।

गैर–निगरानीकर्ता सं0 1 लगायत 4 के विद्वान् अभिभाषक श्री मोहन चौधरी का कथन हैं कि निगरानी अधीन पट्टा दिनांक 25.05.1994 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप वैध रूप से जारी किया गया हैं। पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम के सभी प्रावधानों की पालना की गई हैं। वैध रूप से जारी किये गये पट्टे की अत्यधिक विलम्ब से सीधे ही निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्त्ता ने बिना किसी हक एवं अधिकार के निगरानी पेश की हैं जबकि निगरानीकर्त्ता का निगरानी अधीन पट्टेशुदा भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं हैं। ग्राम पंचायत–महादेवपुरा द्वारा दिनांक 25.05.1994 को पट्टा सं0 05 गैर–निगरानीकर्तागण के पिता श्री कन्हैयालाल के नाम जारी किया गया था। जो कि उक्त आबादी भूमि पर गैर–निगरानीकर्तागण के पिताजी पूर्वजों के जमाने से लगातार निवास करते आ रहे थे। इसी आधार पर पट्टा जारी किया गया था। यह कि दिनांक 25.05.1994 को ग्राम पंचायत में सरपंचों के अधिकार सीज किये जाकर प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दिये गये थे एवं सरपंचों के चुनाव भी अढाई वर्ष बाद हुये थे। उस समय सरपंच प्रभावहीन थे एवं पंचायत का कार्य प्रशासक ही कर रहा था। इसलिए उक्त विवादित पट्टे पर प्रशासक के हस्ताक्षर हैं, सरपंच के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा प्रशासक ने नियमानुसार समस्त प्रकार की जांच करवा कर पट्टा जारी किया था। यह कि निगरानीकर्ता के दादा रामेश्वर प्रसाद ने भी वर्ष 1993 में गैर–निगरानीकर्तागण के पिता के उपर उक्त जमीन को लेकर मुकदमा दायर किया था। जिसमें दिनांक 13.07.1993 को राजीनामा हो गया था। उसके बाद ही गैर–निगरानीकर्तागण के पिताजी ने राजीनामा के आधार पर पट्टा जारी करवाया

न्यायालय अति. कलक्टर जयपुर

पूर्वजों के समय से निवास करते चले आ रहे हैं, तथा कहीं पर भी सार्वजनिक प्याऊ नहीं थी। प्याऊ की बात काल्पनिक है तथा जो फोटोज पेश की हैं वे उस स्थान की नहीं हैं, तथा ना ही उक्त स्थान पर नीम का पेड हैं ना ही उक्त स्थान पर कोई सार्वजनिक चबूतरा हैं। यह कि निगरानीकर्ता को पट्टा निरस्त करवाने का कोई अधिकार नहीं हैं। उक्त प्रकरण गैर–निगरानीकर्तागण को परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया गया हैं। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त फरमाया जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक श्री प्रकाश चन्द भारती का कथन रहा है कि विवादग्रस्त भू–खण्ड सार्वजनिक उपयोग–उपभोग का है। मन्दिर श्री रघुनाथ जी के लगते ही दक्षिण की ओर सार्वजनिक पीने की पानी की प्याऊ तथा उसके लगते ही सार्वजनिक कुंआ व सधन नीम का पेड़ स्थित हैं तथा इनके लगते ही पूर्व में आम रास्ता, दक्षिण में आम रास्ता तथा उत्तर में श्री रघुनाथ जी का मन्दिर व मन्दिर का चबूतरा, पश्चिम में विवादित पट्टे की सार्वजनिक भूमि स्थित हैं। निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक श्री प्रकाश चन्द भारती के कथन की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल फोटोस्टेट प्रति कोर्ट कमीशन दिनांक 06.07.1993 से होती हैं। कोर्ट कमीशन रिपोर्ट दिनांक 06.07.1993 के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि कमीशन द्वारा वादग्रस्त भू–खण्ड को खाली चौक बताया हैं और इसके तीनो ओर आम रास्ता होना दर्शाया हैं। पट्टा संख्या 5 की पुश्त पर जमीन के पडोसी होना दर्ज किया है उसमें पूर्व, पश्चिम व दक्षिण दिशा में आम रास्ता होना अंकित है। राजस्थान पंचायत सामान्य नियम,1961 के नियम 269 (2) (ध) के अन्तर्गत अन्य जिला सड़क एवं ग्राम सड़को की मध्यवर्ती रेखा से 50 फीट की परिधि में भूमि विक्रय पर प्रतिबंध हैं जबकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट जाहिर हैं कि निगरानी अधीन पट्टे की भूमि सार्वजनिक चौक की हैं और ग्राम सड़क की मध्यवर्ती रेखा से 50 फीट की परिधि में स्थित हैं जो विधि के प्रावधानों के विपरित पट्टा दिया जाना जाहिर होता हैं। अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं और पट्टा सं0 05 दिनांक 25.05.1994 निरस्त किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

25/9/17

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर